अनुबंध I

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम: अप्रैल 2022 से मार्च 2023[1]

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
मौद्रिक नीति विभाग	
8 अप्रैल 2022	• मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत रिपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। एमपीसी ने उदारता बरतने को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करते हुए समायोजित बने रहने का निर्णय लिया ताकि वृद्धि को सहायता प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर लक्ष्य के भीतर बनी रहे। • स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) को स्थिर रिवर्स रिपो दर (एफआरआरआर) से 40 आधार अंक (बीपीएस) ऊपर शुरू किया गया, जिसने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) कॉरिडोर के फ्लोर के रूप में एफआरआरआर का स्थान लिया। एसडीएफ दर को रिपो दर से 25 आधार अंक (बीपीएस) नीचे रखा गया, अर्थात 3.75 प्रतिशत पर।
4 मई 2022	• एमपीसी ने नीतिगत रिपो दर को 40 आधार अंक बढ़ाकर 4.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। नतीजतन, एसडीएफ दर को 4.15 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर को 4.65 प्रतिशत में समायोजित किया गया। एमपीसी ने उदारता बरतने को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करते हुए समायोजित बने रहने का निर्णय लिया ताकि वृद्धि को सहायता प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर लक्ष्य के भीतर बनी रहे। • आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 21 मई 2022 से शुरू होने वाले पखवाड़े से 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत किया गया।
8 जून 2022	एमपीसी ने नीतिगत रिपो दर को 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। नतीजतन, एसडीएफ दर को 4.65 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर को 5.15 प्रतिशत में समायोजित किया गया। एमपीसी ने उदारता बरतने को वापस लेने पर सतत रूप से ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया ताकि वृद्धि को सहायता प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर लक्ष्य के भीतर बनी रहे।
5 अगस्त 2022	एमपीसी ने नीतिगत रिपो दर को 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। नतीजतन, एसडीएफ दर को 5.15 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर को 5.65 प्रतिशत में समायोजित किया गया। एमपीसी ने उदारता बरतने को वापस लेने पर सतत रूप से ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया ताकि वृद्धि को सहायता प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर लक्ष्य के भीतर बनी रहे।
30 सितंबर 2022	एमपीसी ने नीतिगत रिपो दर को 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। नतीजतन, एसडीएफ दर को 5.65 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर को 6.15 प्रतिशत में समायोजित किया गया। एमपीसी ने उदारता बरतने को वापस लेने पर सतत रूप से ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया ताकि वृद्धि को सहायता प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर लक्ष्य के भीतर बनी रहे।
7 दिसंबर 2022	एमपीसी ने नीतिगत रिपो दर को 35 आधार अंक बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। नतीजतन, एसडीएफ दर को 6.0 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर को 6.5 प्रतिशत में समायोजित किया गया। एमपीसी ने उदारता बरतने को वापस लेने पर सतत रूप से ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया ताकि वृद्धि को सहायता प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर लक्ष्य के भीतर बनी रहे।
8 फरवरी 2023	एमपीसी ने नीतिगत रिपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। नतीजतन, एसडीएफ दर को 6.25 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर को 6.75 प्रतिशत में समायोजित किया गया। एमपीसी ने उदारता बरतने को वापस लेने पर सतत रूप से ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया ताकि वृद्धि को सहायता प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

1 यह सूची सांकेतिक स्वरूप की है और इसका विवरण रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	वित्तीय समावेशन और विकास विभाग
28 अप्रैल 2022	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान *किसान क्रेडिट कार्ड* (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋणों हेतु संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना को किसानों के लिए 7 प्रतिशत की उधार दर और 2 प्रतिशत की ब्याज़ सबवेंशन दर के साथ विस्तारित किया गया था। इस योजना का विस्तार लघु वित्त बैंकों (एसएफ़बी) और कम्प्यूटरीकृत प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी (पीएसी) तक किया गया है, जिसे उनके स्वयं के संसाधनों के उपयोग पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और निजी क्षेत्र के बैंकों (केवल उनकी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में) के अलावा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) तक बढ़ाया गया है।
13 मई 2022	निर्दिष्ट प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने में बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के बीच आपसी तालमेल को जारी रखने के लिए चालू आधार पर प्राथमिकता क्षेत्र को उधार (पीएसएल) के रूप में निम्नांकित को अनुमति देने का निर्णय लिया गया था: (ए) 'कृषि' और 'सूक्ष्म और लघु उद्यमों' को आगे उधार देने के उद्देश्य से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एनबीएफसी को दिये गए उधार, और (बी) लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) द्वारा ऐसी एनबीएफसी-लघु वित्त संस्थाओं (एमएफआई) और अन्य एमएफआई को उधार देने की अनुमति है जिनके पास व्यक्तियों को आगे उधार देने के उद्देश्य से पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को ₹500 करोड़ रुपये तक का 'सकल ऋण पोर्टफोलियो' (जीएलपी) है।
18 मई 2022	अंतर्देशीय जल निकायों में मछली पकड़ने/एक्वाकल्चर से संबंधित लाइसेंस/प्राधिकरण संबंधी आवश्यकताएं अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं। केसीसी सुविधा का लाभ उठाने के लिए मछुआरों की पात्रता को व्यापक आधार देने के प्रयोजन से केसीसी योजना के तहत अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलकृषि के लिए पात्रता मानदंड को प्रत्येक राज्य में ऐसी गतिविधियों के लिए लागू आवश्यक प्राधिकरण/प्रमाणीकरण के साथ मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों के लिए आवश्यक लाइसेंस रखने की आवश्यकता को संशोधित कर किया गया है।
19 मई 2022	30 जून 2020 तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के वर्गीकरण के लिए मौजूदा उद्यमी ज्ञापन (ईएम) और *उद्योग आधार ज्ञापन* (यूएएम) की वैद्यता के साथ-साथ दिनांक 08 मार्च 2017 और 13 जुलाई 2017 के परिपत्रों के संदर्भ में प्राप्त किए गए दस्तावेजों की वैधता को 30 जून 2022 तक बढ़ा दी गई है।
20 जुलाई 2022	*दीनदयाल अंत्योदय योजना* - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम) पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए।
23 नवंबर 2022	वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋणों हेतु संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना को किसानों के लिए 7 प्रतिशत की उधार दर और 1.5 प्रतिशत की ब्याज़ सबवेंशन की दर के साथ विस्तारित किया गया।
	वित्तीय बाजार विनियमन विभाग
19 अप्रैल 2022	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, सरकारी प्रतिभूतियों और कॉरपोरेट ऋण में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए मध्यावधि ढांचे (एमटीएफ) के तहत निवेश सीमा तथा एफपीआई द्वारा बेची जा सकने वाली ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) की अनुमानित राशि की सीमा अधिसूचित की गई।
1 जून 2022	मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (विचरण अंतर - वैरिएशन मार्जिन) निदेश, 2022 जारी किए गए, जिसमें कवर की गई संस्थाओं को केंद्रीय अनापत्ति नहीं दिये गए डेरिवेटिव (विदेशी मुद्रा, ब्याज दर और क्रेडिट) लेनदेनों के लिए, विचरण अंतर का विनिमय करना अनिवार्य किया गया।
7 जुलाई 2022	• 7-वर्षीय और 14-वर्षीय की अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (जी-सेक) के सभी नए निर्गमों (वर्तमान निर्गमों सहित) को पूरी तरह से सुलभ मार्ग (एफएआर) के तहत 'निर्दिष्ट प्रतिभूतियों' के रूप में नामित किया गया। • एमटीएफ के तहत सरकारी प्रतिभूतियों और कॉरपोरेट ऋण में एफपीआई द्वारा निवेश को 31 अक्टूबर 2022 तक अल्पकालिक निवेश सीमा और न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता की आवश्यकताओं से छूट दी गई।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	• प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के लिए निर्धारित नकारात्मक सूची के अधीन अंतिम उपयोग के उद्देश्यों के व्यापक सेट के लिए संस्थाओं को विदेशी मुद्रा में उधार देने के लिए ओवरसीज विदेशी मुद्रा उधार (ओएफसीबी) का उपयोग करने की अनुमति दी गई। इस तरह की उधारी जुटाने की व्यवस्था 31 अक्टूबर 2022 तक उपलब्ध थी।
8 अगस्त 2022	विदेशी मुद्रा में सौदा करने के लिए अधिकृत एकल प्राथमिक डीलरों को, अनिवासियों और अन्य पात्र बाजार निर्माताओं के साथ विदेशी मुद्रा निपटान -ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (एफसीएस-ओआईएस) लेनदेन करने की अनुमति दी गई।
7 सितंबर 2022	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत उन संस्थाओं की "चेतावनी सूची", जो विदेशी मुद्रा में व्यापार करने के लिए अधिकृत नहीं हैं और न ही विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए अधिकृत हैं, की सूची जारी की गई। इसमें उन संस्थाओं/ प्लेटफार्मों/ वेबसाइटों के नाम भी शामिल हैं जो अनाधिकृत संस्थाओं/ ईटीपी को बढ़ावा देते प्रतीत होते हैं, जिनमें ऐसी अनाधिकृत संस्थाओं के विज्ञापनों के माध्यम से या प्रशिक्षण/ सलाहकार सेवाएं प्रदान करने का दावा करना शामिल है। "चेतावनी सूची" को 10 फरवरी 2023 को अद्यतन किया गया।
1 दिसंबर 2022	वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2019 के प्रावधानों के अनुसार, संशोधित मुंबई अंतर-बैंक एकमुश्त वायदा दर (एमएमआईएफओआर) को 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' के रूप में अधिसूचित किया गया।
12 दिसंबर 2022	निवासी संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में मान्यता प्राप्त सूचकांकों पर अपने सोने की कीमत जोखिम का बचाव (हेजिंग) करने की अनुमति दी गई।
23 जनवरी 2023	वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार द्वारा जारी सभी सरकारी हरित बॉण्ड को एफएआर के तहत 'निर्दिष्ट प्रतिभूतियों' के रूप में नामित किया गया।
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	
8 अप्रैल 2022	• फरवरी 2020 में स्थापित चलनिधि प्रबंधन ढांचे को पूरी तरह से बहाल करने का निर्णय लिया गया, *हालांकि* इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कुछ परिशोधन किए गए। • स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) कॉरिडोर के फ्लोर के रूप में पेश किया गया। एकदिवसीय एसडीएफ दर को नीतिगत दर से 25 आधार अंक नीचे रखने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार, एलएएफ कॉरिडोर की चौड़ाई को 50 आधार अंकों के महामारी-पूर्व विन्यास में बहाल किया गया, जो नीतिगत रिपो दर के आसपास सममित रूप से था, जो कॉरिडोर के केंद्र में था।
18 अप्रैल 2022	विनियमित बाजार खुलने का समय सुबह 9:00 बजे के महामारी-पूर्व स्तर पर बहाल करना।
30 सितंबर 2022	28 दिन की परिवर्तनीय दर रिवर्स रिपो (वीआरआरआर) नीलामी को पाक्षिक 14 दिवसीय मुख्य नीलामी के साथ मिला दिया गया।
7 दिसंबर 2022	मांग/ नोटिस/ मीयादी मुद्रा, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, कॉरपोरेट बॉण्ड में रिपो और रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव के लिए बाजार का समय दोपहर 3.30 बजे से बढ़ाकर शाम 5 बजे तक किया गया।
8 फरवरी 2023	• सरकारी प्रतिभूतियों (केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों[2] और खजाना बिल) के लिए बाजार का समय दोपहर 3.30 बजे से बढ़ाकर शाम 5:00 बजे कर दिया गया। • प्रभावी मूल्य निर्धारण करने में सहायता करने तथा केंद्र और राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम को सुचारू रूप से पूरा करने की दिशा में काम करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों के उधार देने और लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया।

[2] Refer to footnote 31 of Chapter II of this Report.

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	विदेशी मुद्रा विभाग
19 मई 2022	श्रीलंका से निर्यात आय प्राप्त करने में निर्यातकों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों और श्रीलंका सरकार के साथ भारतीय स्टेट बैंक के 17 मार्च 2022 के ऋण सुविधा समझौते पर आधारित 19 मई 2022 के परिपत्र के माध्यम से श्रीलंका द्वारा भारत से आवश्यक वस्तुओं की खरीद के वित्तपोषण के लिए, श्रीलंका को भारत सरकार की स्वीकृति के लिए 1,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सावधि ऋण की गारंटी को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि उक्त व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले श्रीलंका के साथ इस तरह के व्यापार लेनदेन को एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) तंत्र के बाहर भारतीय रुपये (आईएनआर) में निपटाया जा सकता है।
25 मई 2022	अर्हता प्राप्त जौहरियों [जैसा कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा अधिसूचित] को, नामित एजेंसियों [विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा अधिसूचित] और नामित बैंक (स्वर्ण के आयात के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित) के अलावा, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) के माध्यम से विशिष्ट आईटीसी (एचएस)[3] कोड के तहत स्वर्ण के आयात की अनुमति दी गई थी। नतीजतन, अधिकृत डीलर (एडी) बैंकों को 25 मई 2022 के परिपत्र के माध्यम से पात्र ज्वैलर्स (आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित) को निर्दिष्ट शर्तों के अधीन आईएफएससी में आईआईबीएक्स के माध्यम से स्वर्ण आयात करने में सक्षम बनाने के लिए अग्रिम भुगतान की अनुमति दी गई।
9 जून 2022	डेटा प्रस्तुत करने की सटीकता, गति और गुणवत्ता में सुधार करते हुए, विनियमित संस्थाओं के लिए विनियामक अनुपालन को आसान बनाने के लिए, मौजूदा 65 विनियामकीय कागज़-आधारित विवरणियों के ऑनलाइन विवरणियों में बंद/विलय या रूपांतरण से संबंधित, विनियमन समीक्षा प्राधिकरण 2.0 (आरआरए 2.0) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, 18 फरवरी 2022 को यह अधिसूचित किया गया था कि 21 भौतिक विवरणियों को ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण में बदला जाएगा, जबकि एक विवरणी - अनिवासी संस्थाओं से ली गई और मंगाई गई गारंटी पर त्रैमासिक विरणी - बंद/विलय की जाएगी। इसके बाद, एडी बैंकों को दिनांक 9 जून 2022 के परिपत्र के माध्यम से जून 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही से उक्त विवरणी को बंद करने हेतु सूचित किया गया।
8 जुलाई 2022	अधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को सूचित किया गया कि अगली सूचना तक श्रीलंका के साथ व्यापार लेनदेन सहित सभी पात्र चालू खाता लेनदेन एसीयू तंत्र के बाहर किसी भी अनुमत मुद्रा में निपटाए जाएंगे।
11 जुलाई 2022	भारत से निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर देने के साथ वैश्विक व्यापार की सुविधा के लिए और आईएनआर में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि का समर्थन करने हेतु आईएनआर में निर्यात/आयात के चालान, भुगतान और निपटान के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था प्रदान की गई। इस व्यवस्था के तहत, किसी भी देश के साथ व्यापार लेनदेन का निपटारा अधिकृत व्यापारी बैंकों के साथ बनाए गए भागीदार व्यापारिक देश के प्रतिनिधि बैंक / बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रो खातों के माध्यम से भारतीय रुपये में किया जा सकता है।
1 अगस्त 2022	विदेशी मुद्रा वित्तपोषण के स्रोतों में और विविधता लाने और उनका विस्तार करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 6 जुलाई 2022 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से, "विदेशी मुद्रा प्रवाह के उदारीकरण" पर स्वचालित मार्ग के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) की सीमा - 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर या इसके समकक्ष प्रति वित्तीय वर्ष से 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर और निवेश-ग्रेड रेटिंग के उधारकर्ताओं के लिए 100 बीपीएस की समग्र लागत सीमा - में अस्थायी वृद्धि की घोषणा की। ये अस्थायी उपाय 31 दिसंबर 2022 तक उठाए गए ईसीबी के लिए उपलब्ध थे। तदनुसार, फेमा 3आर [विदेशी मुद्रा प्रबंधन (उधार लेना और उधार देना) विनियम, 2018] में आवश्यक संशोधन करने के बाद, सभी श्रेणी-I अधिकृत डीलर (एडी) बैंकों को 1 अगस्त 2022 को इसी संबंध में सूचित किया गया।

3 हार्मोनाइज्ड सिस्टम (आईटीसी-एचएस) पर आधारित भारतीय व्यापार वर्गीकरण।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
22 अगस्त 2022	उदारीकरण की भावना को ध्यान में रखते हुए और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) विनियम, 2022 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (किसी विदेशी प्रतिभूति का स्थानांतरण या निर्गम) (संशोधन) विनियम, 2004 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण और हस्तांतरण) विनियम, 2015 के अधिक्रमण में अधिसूचित किया गया है। दिनांक 22 अगस्त 2022 को जारी, विदेशी मुद्रा प्रबंधन [विदेशी निवेश (ओआई)] निदेश, 2022, किए गए मास्टर निदेश संख्या 15/2015- 16, दिनांक 1 जनवरी 2016, यथासंशोधित, का अधिक्रमण करता है।
15 सितंबर 2022	दिनांक 15 सितंबर 2022 के परिपत्र द्वारा, भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) - सीमा-पार से आने वाले बिल भुगतानों को संसाधित करने के लिए मानकीकृत बिल भुगतान के लिए एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म को सक्षम बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया था कि रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) के तहत प्राप्त विदेशी आवक विप्रेषण की अनुमति देने के लिए, कुछ शर्तों के अधीन, बीबीपीएस के माध्यम से बिलर (लाभार्थी) के 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) अनुपालित बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। यह अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को भारत में उनके परिवारों की ओर से उपयोगिता, शिक्षा और अन्य बिल भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेगा।
30 सितंबर 2022	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत देरी से रिपोर्ट करने के लिए विलंब जमा शुल्क (एलएसएफ) की अवधारणा, विदेशी निवेश (एफआई), ईसीबी और सीमा पार निवेश (ओआई) से संबंधित लेनदेन के लिए पेश की गई थी जो क्रमशः 7 नवंबर 2017, 16 जनवरी 2019 और 22 अगस्त 2022 से प्रभावी हुई। तदनुसार, समस्त कार्यों में एलएसएफ लगाने में एकरूपता लाने के लिए, एलएसएफ की गणना के लिए ओआई से संबंधित लेनदेन हेतु एक समान मैट्रिक्स, जहां भी फेमा के तहत लागू हो, 30 सितंबर 2022 को शुरु किया गया।
विनियमन विभाग	
7 अप्रैल 2022	डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना पर दिशानिर्देश सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) को जारी किए गए। दिशानिर्देश डिजिटल बैंकिंग, डीबीयू, डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और डिजिटल बैंकिंग उप क्षेत्र को परिभाषित करते हैं, और डीबीयू द्वारा आवश्यक बुनियादी ढांचे और संसाधनों और उनके द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले उत्पादों और सेवाओं को शामिल करते हैं। डीबीयू ग्राहकों को डिजिटल मोड/चैनल अपनाने और डिजिटल बैंकिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाने संबंधी सुविधा प्रदान करेंगे।
8 अप्रैल 2022	• एक प्रतिचक्रीय उपाय के रूप में, अक्तूबर 2020 में, व्यक्तिगत आवास ऋणों के संबंध में 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत सभी नए आवास ऋणों के लिए जोखिम भार को केवल मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) अनुपात से जोड़ा गया, चाहे राशि कुछ भी हो। समीक्षा के बाद, उपरोक्त व्यवस्था को 31 मार्च 2023 तक स्वीकृत सभी नए व्यक्तिगत आवास ऋणों को कवर करने के लिए बढ़ाया गया। • कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए बैंकों को पहले सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों के लिए निर्धारित सीमा को पार करने की अनुमति दी गई थी, जिन्हें निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के 19.5 प्रतिशत से एनडीटीएल (1 सितंबर 2020 और 31 मार्च 2022 के बीच अधिग्रहित एसएलआर प्रतिभूतियों के संबंध में) की 22 प्रतिशत की समग्र सीमा तक परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में रखा जा सकता था। 8 अप्रैल 2022 को, 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023 के बीच अधिग्रहित एसएलआर प्रतिभूतियों को शामिल करते हुए इस सीमा को एनडीटीएल के 23 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। 23 प्रतिशत की बढ़ी हुई एचटीएम सीमा को चरणबद्ध तरीके से जून 2023 को समाप्त तिमाही से शुरू करते हुए 19.5 प्रतिशत पर वापस लाया जाना था। इसके बाद, 8 दिसंबर 2022 को, 31 मार्च 2024 तक अधिग्रहित एसएलआर प्रतिभूतियों को शामिल करते हुए उक्त व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया, जबकि एचटीएम सीमा को 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही से शुरू करते हुए 31 मार्च 2025 तक चरणबद्ध तरीके से 19.5 प्रतिशत तक वापस लाया जाएगा।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	• 2018 में, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की संशोधित धारा 17 ने रिज़र्व बैंक को स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) – बिना किसी संपार्श्विक के चलनिधि को अवशोषित करने के लिए एक अतिरिक्त साधन शुरू करने का अधिकार दिया। एसडीएफ एलएएफ कॉरिडोर के आधार के रूप में नियत दर रिवर्स रेपो (एफआरआरआर) की जगह लेगा। इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया कि एसडीएफ के तहत रिज़र्व बैंक के पास बैंकों द्वारा रखी गई जमा राशि एक अर्हता प्राप्त पात्र एसएलआर आस्ति होगी। तदनुसार, मौजूदा अनुदेशों के आंशिक संशोधन में, यह निर्दिष्ट किया गया था कि एसडीएफ के तहत जमा राशि एसएलआर बनाए रखने के उद्देश्य से "नकदी" का हिस्सा होगी। तथापि, एसडीएफ के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के पास बैंकों की जमा राशि नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) बनाए रखने के लिए पात्र नहीं होगी।
18 अप्रैल 2022	बैंकों को अपने एनडीटीएल के 16 प्रतिशत तक अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के भीतर चलनिधि कवरेज अनुपात (एफ़एएलएलसीआर)[5] के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा के तहत सरकारी प्रतिभूतियों को स्तर 1 उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए)[4] के रूप में गणना करने की अनुमति दिये जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, एलसीआर आवश्यकता को पूरा करने के लिए संगणित अनिवार्य एसएलआर के कुल एचक्यूएलए में एनडीटीएल का 18 प्रतिशत (2 प्रतिशत सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) *और* 16 प्रतिशत एफ़एलसीआर) होगा।
19 अप्रैल 2022	• बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए पूंजीगत निधियों के निर्गम और विनियमन पर ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) के लिए लागू निर्देशों की समीक्षा की गई। संशोधित दिशानिर्देशों में पूंजीगत लिखत जारी करने के लिए शर्तों के साथ-साथ शेयर पूंजी की निकासी के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं, और उन्हें अधिमान शेयर जारी करके पूंजी जुटाने की अनुमति भी दी गई है। • एनबीएफसी के लिए आकार आधारित विनियामक ढांचे के संदर्भ में, अपर लेयर एनबीएफसी (एनबीएफसी-यूएल) को अन्य *बातों के साथ-साथ*, जोखिम भारित आस्तियों के कम से कम 9 प्रतिशत की पूंजी को बनाए रखना अपेक्षित है। ढांचे के प्रावधानों के अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, सभी एनबीएफसी-यूएल (मूल निवेश कंपनियों को छोड़कर) पर लागू सीईटी -1 पूंजी के घटकों के साथ-साथ विनियामकीय समायोजन पर विस्तृत अनुदेश जारी किए गए। • अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल) में एनबीएफसी के लिए बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क पर विस्तृत दिशानिर्देश और विभिन्न लेयरों की एनबीएफसी के लिए उधार देने पर कुछ विनियामकीय प्रतिबंध जारी किए गए। • उधारकर्ताओं के बीच ऋण अनुशासन को लागू करने के साथ-साथ उधारदाताओं द्वारा बेहतर निगरानी की सुविधा के लिए, बैंकों द्वारा नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट (सीसी/ओडी) और चालू/संग्रह खातों को खोलने के तरीके पर निर्देश अगस्त 2020 में जारी किए गए थे, और अक्तूबर 2021 में संशोधित किए गए थे। अनुदेशों पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए, सभी मौजूदा अनुदेशों को समेकित करते हुए इस विषय पर एक स्व-निहित परिपत्र जारी किया गया था। • आकार आधारित विनियमन (एसबीआर) ढांचे के अनुसार एनबीएफसी के लिए कुछ अतिरिक्त प्रकटीकरण आवश्यकताएं जारी की गई थीं। • एनबीएफसी में शासन में सुधार करने और ऋण देने के निर्णयों में हितों के टकराव से बचने के लिए, एनबीएफसी पर उनके निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों, उनके रिश्तेदारों और संबद्ध संस्थाओं को ऋण के संबंध में प्रतिबंध लगाए गए थे। स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) क्षेत्र को ऋण के संबंध में, यह अनिवार्य किया गया है कि एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उधारकर्ताओं ने परियोजना के लिए सरकार/स्थानीय सरकार/अन्य सांविधिक प्राधिकरणों से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली है।

4 एचक्यूएलए: उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां।

5 एफएएलएलसीआर: चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
21 अप्रैल 2022	• हितों के टकराव और समानांतर/छाया प्राधिकरण को रोकने की दृष्टि से शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को निदेश दिया गया था कि वे कोई मानद पद/उपाधियां सृजित न करें या प्रकृति में गैर-सांविधिक कोई उपाधि प्रदान न करें, जैसे कि मानद अध्यक्ष, समूह अध्यक्ष आदि। यूसीबी को इन अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए एक वर्ष का समय प्रदान किया गया। • नवंबर 2017 में, ₹50 करोड़ और उससे अधिक के कुल एक्सपोजर वाली सभी संस्थाओं के लिए विधिक इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) अनिवार्य किया गया था। समीक्षा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई), एसएफबी और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के ₹5 करोड़ और उससे अधिक के कुल निधि और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर वाले सभी गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए एलईआई की आवश्यकता का विस्तार किया जाए। • बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली एनबीएफसी के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपये में अंकित सह-ब्रांडेड प्री-पेड कार्ड संचालन पर मास्टर परिपत्र (जुलाई 2015) में निहित अनुदेशों को मास्टर निदेश (एमडी) - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी और आचार संबंधी निदेश में अपडेट और जारी किया गया। क्रेडिट कार्ड खाते को बंद करना, व्यावसायिक उद्देश्य के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करना, बिलिंग मुद्दे, क्रेडिट लेनदेन का समायोजन, नए फॉर्म कारक, सह-ब्रांडेड व्यवस्था से संबंधित मुद्दे, अपविक्रय आदि जैसे पहलुओं को मजबूत किया गया। इसके बाद, 21 जून 2022 को कुछ प्रावधानों को लागू करने की समय सीमा बढ़ा दी गई।
29 अप्रैल 2022	एनबीएफसी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों (केएमपी) और वरिष्ठ प्रबंधन के मुआवजे को तय करने के लिए सिद्धांतों का एक सेट जारी किया गया। दिशानिर्देशों के अनुसार, एनबीएफसी को एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन करना आवश्यक है, जो मुआवजा नीति तैयार करने, समीक्षा करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार होगी। दिशा-निर्देशों में *अन्य बातों के साथ-साथ* यह निर्धारित किया गया है कि नियत और परिवर्तनीय वेतन वाले मुआवजा पैकेज को सभी प्रकार के जोखिमों के लिए समायोजित किया जा सकता है। परिवर्तनीय वेतन के एक निश्चित हिस्से में एक स्थगन व्यवस्था हो सकती है और आस्थगित वेतन को मैलस/क्लॉबैक व्यवस्था के अधीन किया जा सकता है।
2 मई 2022	मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, जमा लेने वाली एनबीएफसी/आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को सार्वजनिक जमा स्वीकार करने की अनुमति तब तक नहीं है जब तक कि उसने अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) में से किसी एक से सावधि जमा के लिए न्यूनतम निवेश श्रेणी क्रेडिट रेटिंग (एमआईजीआर) प्राप्त नहीं की हो। इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि एनबीएफसी/एचएफसी की जमाराशियों के लिए एमआईजीआर सेबी द्वारा पंजीकृत किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से 'बीबीबी-' से नीचे नहीं होगा।
19 मई 2022	तुलन पत्र पर रिवर्स रेपो की प्रस्तुति पर अधिक स्पष्टता लाने के लिए, वाणिज्यिक बैंकों को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए।
24 मई 2022	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्तियों को उनकी आवासीय इकाइयों की मरम्मत/परिवर्धन/परिवर्तन करने के लिए दिए गए ऋणों की अधिकतम सीमा को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित सीमाओं के अनुरूप बनाया गया।
31 मई 2022	निर्यातकों को ब्याज सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निर्यात से पहले और बाद के रुपया निर्यात ऋण के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस) की वैधता को संशोधित दायरे और कवरेज के साथ 8 मार्च 2022 के परिपत्र के माध्यम से 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई। इसके बाद, यह स्पष्ट किया गया कि विस्तारित योजना उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) लाभों को प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को छोड़कर अन्य सभी के लिए भी उपलब्ध होगी, बशर्ते ऐसे निर्यातकों द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्व-घोषणा प्रस्तुत की जाए।
6 जून 2022	एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचे के अनुरूप, एनबीएफसी-यूएल (एचएफसी सहित) के लिए विभेदक मानक आस्ति प्रावधान निर्धारित किया गया।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
7 जून 2022	रिज़र्व बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) पर समाशोधन और निपटान सेवाएं प्रदान करने के लिए जीआईएफटी-आईएफएससी[6] में भारतीय बैंकों की शाखाओं की भागीदारी के लिए विनियामकीय ढांचा निर्धारित किया। ये अनुदेश घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (भारत में निगमित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के माध्यम से काम करने वाले विदेशी बैंकों सहित) को जारी किए गए थे, जो विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए अधिकृत हैं और जिनकी जीआईएफटी-आईएफएससी में एक शाखा है।
8 जून 2022	टियर-1 और टियर-2 यूसीबी द्वारा दिए जा सकने वाले आवास ऋण की राशि की सीमा को ₹30 लाख और ₹70 लाख से बढ़ाकर क्रमशः ₹60 लाख और ₹140 लाख कर दिया गया। इसके बाद, यूसीबी के लिए चार-स्तरीय संरचना के कार्यान्वयन पर, 30 दिसंबर 2022 के परिपत्र के *माध्यम से* टियर -1 से टियर -2-4 में सभी यूसीबी के लिए क्रमशः ₹60 और ₹140 लाख की सीमा लागू की गई। ₹100 करोड़ से कम और ₹100 करोड़ या उससे अधिक की निवल मालियत वाले ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीसीबी) अर्थात राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) द्वारा स्वीकृत आवास ऋण की राशि की सीमा को ₹20 लाख और ₹50 लाख से बढ़ाकर क्रमशः ₹30 लाख और ₹75 लाख कर दिया गया। आरसीसी को आवास क्षेत्र के लिए कुल आस्तियों के 5 प्रतिशत की कुल सीमा के भीतर वाणिज्यिक स्थावर संपदा - आवासीय आवास (सीआरई-आरएच) को वित्त का विस्तार करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अनुसार (सहकारी समितियों (एएसीएस)] यूसीबी को स्वैच्छिक आधार पर ग्राहकों को एससीबी के समान डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए। वित्तीय रूप से मजबूत और सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) यूसीबी स्वचालित मार्ग के तहत सेवा प्रदान कर सकते हैं, जबकि गैर-एफएसडब्ल्यूएम यूसीबी को रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी। शहरी सहकारी बैंकों को यह भी सूचना दी गई है कि वे अपने निदेशक मंडलों द्वारा अपने प्रचालन के पहले वर्ष के दौरान छमाही आधार पर और बाद में वार्षिक आधार पर इस योजना की समीक्षा करें।
10 जून 2022	पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड (यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन) योजना, 2022 के अनुसार, पूर्ववर्ती पीएमसी बैंक के साथ संस्थागत जमाकर्ताओं की गैर-बीमित जमा का 80 प्रतिशत स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयरों (पीएनसीपीएस) में परिवर्तित हो जाएगा और शेष 20 प्रतिशत इक्विटी वारंट में परिवर्तित हो जाएगा। परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि यूसीबी पीएनसीपीएस में अपने निवेश के लिए पूर्ण प्रावधान करेंगे, और इक्विटी वारंट में निवेश के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। परिणामी प्रावधानों को दो वित्तीय वर्षों में समान रूप से विस्तारित किया जा सकता है ताकि 31 मार्च 2024 तक पूरे नुकसान का पूरा प्रावधान किया जा सके। इसके अलावा, पीएनसीपीएस और इक्विटी वारंट में निवेश को गैर-एसएलआर निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश पर लागू विवेकपूर्ण सीमाओं से छूट दी जाएगी।
14 जून 2022	• बैंकों को 'ऋण और अग्रिम - सांविधिक और अन्य प्रतिबंधों' पर जारी मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया था, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* यह अपेक्षित है कि सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के मामले में, सावधि ऋण केवल कॉरपोरेट निकायों के लिए स्वीकृत किए जाने चाहिए; परियोजनाओं की व्यवहार्यता और बैंकीयता पर समुचित सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना से राजस्व प्रवाह ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त है और यह कि ऋण का पुनर्भुगतान/अदायगी बजटीय संसाधनों से नहीं है। • देखे गए उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए, बैंकों द्वारा सख्त अनुपालन के लिए मौजूदा अनुदेशों को दोहराया गया है। बैंकों को सूचित किया गया था कि वे तीन महीने के भीतर अनुदेशों के अनुपालन की स्थिति पर एक व्यापक रिपोर्ट अपने बोर्ड को प्रस्तुत करके समीक्षा करें।

6 गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (जीआईएफटी) - अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी)।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
28 जून 2022	• जब एससीबी द्वारा हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋणों के बदले में प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) में निवेश हस्तांतरित ऋणों से जुड़े सभी एसआर के 10 प्रतिशत से अधिक होता है, तो ऐसे एसआर के लिए रखे जाने वाले प्रावधान आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) और (ख) यह मानते हुए कि ऋण बैंक के बही-खातों में बने रहे, अंतर्निहित ऋणों पर लागू प्रावधान दर के संदर्भ में आवश्यक प्रावधान दर से अधिक होंगे। ये निर्देश पहली बार एससीबी के अलावा अन्य उधारदाताओं पर 24 सितंबर 2021 को 'ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर मास्टर निदेश (एमडी-टीएलई)' जारी करने के साथ लागू किए गए थे, जिसके कारण मास्टर निदेश की तारीख तक उनके द्वारा रखे गए बकाया एसआर पर कुछ उधारदाताओं के लिए बड़े प्रावधान की आवश्यकता थी। उक्त का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, एससीबी के अलावा अन्य विनियमित संस्थाओं (आरई) को सूचित किया गया था कि बकाया एसआर के मूल्यांकन के लिए उपरोक्त अतिरिक्त प्रावधान, 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि में अर्थात 2021-22 से 2025-26 तक विस्तारित किए जा सकते हैं। यह भी सूचना दी गई है कि उपर्युक्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सृजित प्रावधान इस संबंध में अपेक्षित प्रावधान के पांचवें भाग से कम नहीं होंगे।
6 जुलाई 2022	• बैंकों को सूचित किया गया था कि 30 जुलाई 2022 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से बैंकों द्वारा जुटाई गई 1 जुलाई 2022 की आधार तिथि के संदर्भ में वृद्धिशील विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर (बी)] जमाओं के साथ-साथ अनिवासी बाह्य (एनआरई) और ईआरएम जमाओं को सीआरआर और एसएलआर के रखरखाव से छूट दी जाएगी। ये छूट 4 नवंबर 2022 तक जुटाई गई जमाओं के लिए वैध थी। • एफसीएनआर (बी) जमाओं पर लागू ब्याज दर की सीमा को बैंकों द्वारा जुटाई गई वृद्धिशील एफसीएनआर (बी) जमाओं के लिए अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया था। बैंकों द्वारा जुटाई गई वृद्धिशील एनआरई जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दरों के संबंध में मौजूदा प्रतिबंध को भी अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया था। उपरोक्त रियायतें 7 जुलाई 2022 से 31 अक्तूबर 2022 तक प्रभावी थीं। • यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत शामिल किया गया।
26 जुलाई 2022	यूसीबी को सूचित किया गया कि बैंक की ऋण नीति की वित्तीय वर्ष में कम-से-कम एक बार बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाए ताकि यह सुनिश्चित की जा सके कि यह (नीति) मौजूदा नियमों के अनुरूप है।
27 जुलाई 2022	जलवायु जोखिम और स्थायी वित्त पर जनवरी 2022 में किए गए एक सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए गए थे। सर्वेक्षण में भारत के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, 16 निजी क्षेत्र के बैंकों और 6 विदेशी बैंकों को शामिल किया गया। सर्वेक्षण का उद्देश्य जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन में अग्रणी एससीबी द्वारा किए गए दृष्टिकोण, तैयारी के स्तर और प्रगति का आकलन करना था। इसके अलावा, सर्वेक्षण के साथ, सार्वजनिक टिप्पणियों और प्रतिक्रिया के लिए, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर एक कार्यनीति तैयार करने हेतु जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर एक चर्चा पत्र भी रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था।
4 अगस्त 2022	'मध्यम और दीर्घकालिक सरकारी जमा के नवीकरण/मोचन के लिए दिशानिर्देश (एमएलटीजीडी)' नामक एक नया उप-पैरा मास्टर निदेश- स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (एमडी-जीएमएस), 2015 में जोड़ा गया, जो जमा के नवीकरण और आंशिक मोचन के निर्देशों के साथ सोने या आईएनआर में परिपक्वता पर मोचन की विधि को विनिर्दिष्ट करता है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
8 अगस्त 2022	लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को, अपने ग्राहकों की विदेशी मुद्रा व्यापार आवश्यकता को पूरा करने हेतु और अधिक छूट देने के उद्देश्य से, यह निर्णय लिया गया कि सभी अनुसूचित एसएफबी, अधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी- II के रूप में परिचालन के कम से कम दो साल पूरे होने के बाद, एडी श्रेणी-I लाइसेंस के लिए पात्र होंगे, बशर्ते उसमें निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों का अनुपालन किया गया हो।
10 अगस्त 2022	डिजिटल उधार देने से संबंधित कार्य दल (डब्ल्यूजीडीएल)[7] की सिफारिशों पर रिज़र्व बैंक के विनियामक रुख को निर्दिष्ट करते हुए एक प्रेस प्रकाशनी जारी की गई। प्रेस प्रकाशनी में सिफारिशों को तीन भागों में बांटा गया है - i) तत्काल कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत, ii) आस्थगित कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत, और iii) भारत सरकार के विचारार्थ सिफारिशें।
11 अगस्त 2022	• विनियमित संस्थाओं (आरई) को पात्र वित्तीय संविदाओं [ओवर द काउंटर (ओटीसी) व्युत्पन्नी और रीपो संविदाओं] के लिए द्विपक्षीय नेटिंग ढांचे के तहत निवल आधार पर अपने प्रतिपक्षी ऋण जोखिम की गणना करने की अनुमति दी गई है। नतीजतन, प्राप्त संदर्भों के आधार पर, यह स्पष्ट किया गया कि (i) विदेशी मुद्रा (स्वर्ण को छोड़कर) संविदा जिनकी मूल परिपक्वता 14 कैलेंडर दिनों या उससे कम है, के लिए छूट, अब से केवल आरआरबी, एलएबी और सहकारी बैंकों पर लागू होगी, जहां बैंक ने द्विपक्षीय नेटिंग ढांचे को नहीं अपनाया है; (ii) बेचे गए ऑप्शन को छूट दी जा सकती है बशर्ते कि वे नेटिंग सेट से बाहर हों; और (iii) किसी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) विक्रेता का उसके खरीदार के प्रति जोखिम भुगतान न किए गए प्रीमियम की राशि पर सीमित किया जा सकता है, बशर्ते कि सीडीएस कानूनी नेटिंग सेट से बाहर हो। • 29 सितंबर 2020 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन के अनुसार, केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) को कारोबार के नए स्थान खोलने/ स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) स्थापित करने या ऐसे कार्यालयों के स्थान को स्थानांतरित करने की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही दी गई थी। तदनुसार, कारोबार का नया स्थान/ एटीएम स्थापित करने के लिए जिला सीसीबी द्वारा आवेदन जमा करने के लिए मानदंड और प्रक्रिया के विवरण के साथ दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
12 अगस्त 2022	वसूली एजेंटों (आरए) द्वारा अपनाई जाने वाली अस्वीकार्य प्रथाओं की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, बकाया ऋणों की वसूली के लिए उधारकर्ताओं को फोन पर कॉल करने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों के दायरे का विस्तार करके और घंटों को सीमित करके आरई को कुछ अतिरिक्त निर्देश जारी किए गए थे।
22 अगस्त 2022	शाखा प्राधिकरण दिशानिर्देशों (मई 2017 में जारी) के तहत, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा अधिसूचित 'वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई)' प्रभावित जिलों के टियर 3 से 6 केंद्रों में उन्हें 'बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों' के बराबर लाकर बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए बैंकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। जैसा कि, भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की सूची संशोधित की थी, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए, बैंकों को उनके विचारार्थ संशोधित सूची की सूचना देते हुए एक परिपत्र जारी किया गया।
2 सितंबर 2022	• अगस्त 2022 की प्रेस प्रकाशनी के अनुसार डिजिटल लेंडिंग पर कार्य दल (डब्ल्यूजीडीएल) की सिफारिशों पर रिज़र्व बैंक के विनियामकीय रुख को निर्दिष्ट करते हुए, एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें तत्काल कार्यान्वयन के लिए डब्ल्यूजीडीएल की स्वीकृत सिफारिशों को शामिल किया गया। • विभिन्न उधार गतिविधियों के लिए आउटसोर्स एजेंटों (ऋण सेवा प्रदाताओं) का अनियंत्रित नियोजन, कपटपूर्ण बिक्री, डेटा गोपनीयता का उल्लंघन, ग्राहक शिकायत निवारण, अनुचित कारोबार आचरण, और अनैतिक वसूली प्रथाओं से उत्पन्न चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से ग्राहक-केंद्रित पहलुओं के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

[7] ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल ऋण देने पर कार्य दल की रिपोर्ट (अध्यक्ष: श्री जे.के. दाश, कार्यपालक निदेशक, आरबीआई) को 18 नवंबर 2021 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर जारी किया गया था।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
7 सितंबर 2022	पूंजी पर्याप्तता पर मौजूदा विनियमों के संदर्भ में, विभिन्न क्रेडिट गारंटी योजनाओं के तहत गारंटीकृत बैंक ऋणों पर गारंटी कवर की सीमा तक शून्य प्रतिशत जोखिम भार लगता है। यह देखा गया कि उपर्युक्त ट्रस्ट फंड द्वारा शुरू की गई कुछ योजनाओं में कुछ विशेषताएं हैं जो प्रभावी गारंटी कवरेज को अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित करती हैं और रियायती पूंजी उपचार की अनुमति देने के लिए आवश्यक विवेकपूर्ण आवश्यकताओं के विपरीत हैं। एक सुसंगत दृष्टिकोण रखने के लिए, प्रासंगिक ट्रस्ट फंड द्वारा शुरू की गई किसी भी मौजूदा या भविष्य की योजनाओं के तहत गारंटीकृत जोखिम के लिए शून्य प्रतिशत जोखिम भार लागू करने के व्यापक सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए एक परिपत्र जारी किया गया। इसके अलावा, अब तक शून्य प्रतिशत जोखिम भार छूट केवल एससीबी तक ही सीमित थी। एक सामंजस्यपूर्ण विनियामक दृष्टिकोण रखने के लिए, उपर्युक्त छूट को एनबीएफसी और यूसीबी सहित अन्य सदस्य उधार देने वाली संस्थाओं (एमएलआई) तक भी बढ़ाया गया, इन संस्थाओं को संबंधित योजनाओं के तहत पात्र एमएलआई के रूप में मान्यता दी गई थी।
16 सितंबर 2022	एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरों की गणना के लिए संदर्भ दरें फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा 31 जनवरी 2022 से उद्धृत (कोट)/प्रदर्शित की जा रही हैं। इस संबंध में, जमाराशियों पर ब्याज दर पर मास्टर निदेशों के प्रासंगिक अनुभागों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया। इसके अलावा, बचत खाता खोलने की पात्रता के संबंध में कुछ निर्देशों को भी अधिक स्पष्ट करने हेतु संशोधित किया गया।
30 सितंबर 2022	एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित विनियमन के तहत निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार अपर लेयर में सोलह एनबीएफसी की एक सूची 30 सितंबर 2022 को जारी की गई।
10 अक्टूबर 2022	क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) को उधारकर्ताओं से आवश्यक सहमति प्राप्त करने के बाद रेटिंग कार्रवाई पर जारी प्रेस विज्ञप्ति (पीआर) में बैंकों के नाम और उनके द्वारा रेट की गई संबंधित क्रेडिट सुविधाओं का खुलासा करना आवश्यक है। इस संबंध में उधारकर्ताओं से असहयोग को हतोत्साहित करने के लिए, बैंकों को सूचित किया गया कि सीआरए द्वारा उपर्युक्त प्रकटीकरण के बिना कोई बैंक ऋण रेटिंग बैंकों द्वारा पूंजी गणना के योग्य नहीं होगी।
11 अक्टूबर 2022	• बाजार निर्माताओं के रूप में एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) की भूमिका को मजबूत करने के लिए, प्राथमिक व्यापारी कारोबार संचालित करने वाले बैंकों के समान, एसपीडी को सभी विदेशी मुद्रा बाजार-निर्माण सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई थी, जो वर्तमान में श्रेणी-I अधिकृत डीलरों के लिए अनुमत है, बशर्ते वे कि विवेकपूर्ण दिशानिर्देश के अधीन हों। • आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुपालन को मजबूत करने के लिए, भिन्नताओं के प्रकटीकरण की सीमा को संशोधित कर कम कर दिया है और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताओं को भी लागू किया गया है। • एक 'समूह' में सभी एनबीएफसी की कुल आस्ति के समेकन के लिए एक परिपत्र जारी किया गया ताकि स्केल आधारित विनियामक ढांचे के तहत मध्य स्तर में एनबीएफसी के वर्गीकरण के लिए सीमा तय की जा सके। • बैंकों को स्पष्टता प्रदान करने और अनुपालन बोझ को कम करने की दृष्टि से अरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम (यूएफसीई) पर मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा और समेकित करने के लिए, यूएफसीई निर्देश जारी किए गए थे, जो 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हुए। प्रमुख परिवर्तन, अन्य बातों के साथ-साथ, इसमें शामिल हैं: (ए) यूएफसीई दिशानिर्देशों से फैक्टरिंग लेनदेन की छूट; और (बी) छोटी संस्थाओं के लिए सीमा में वृद्धि। • 'आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा' समिति की रिपोर्ट के आधार पर, कुछ पर्यवेक्षी चिंताओं और एआरसी के कुशल कामकाज को बाधित करने वाली कुछ समस्याओं को ठीक करने के लिए एक परिपत्र जारी किया गया। इस परिपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ (i) अभिशासन को बढ़ाने; (ii) पर्यवेक्षी चिंताओं का समाधान; (iii) एआरसी की प्रभाविता में वृद्धि; और (iv) विवेकपूर्ण अपेक्षाओं को मजबूत करना, शामिल थे।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
13 अक्टूबर 2022	यह निर्णय लिया गया कि गारंटियों को लागू करने से संबंधित दावों के संबंध में, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से किसी बैंक को प्राप्त राशि और संबंधित अग्रिमों से उसका लंबित समायोजन, सीआरआर और एसएलआर के लिए एनडीटीएल की गणना के उद्देश्य हेतु बाह्य देयता न माना जाए।
1 नवंबर 2022	ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के वाले आरआरबी के लिए संशोधित पात्रता मानदंड जारी किए गए।
23 नवंबर 2022	• यह स्पष्ट किया गया कि एसडीएफ के तहत बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक के पास रखी गई ओवरनाइट शेष राशि चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) की गणना के लिए 'उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्ति (एचक्यूएलए)-स्तर-1' के रूप में पात्र होगी। • एमएसएमई को नकदी प्रवाह-आधारित उधार देने की सुविधा के लिए, माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को खाता एग्रीगेटर ढांचे के तहत एक वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में शामिल किया गया। राजस्व विभाग, भारत सरकार, इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए जीएसटीएन का विनियामक होगा और दो जीएसटी विवरणियाँ, फॉर्म जीएसटीआर-1 और फॉर्म जीएसटीआर-3बी, को वित्तीय जानकारी के रूप में शामिल किया गया है।
1 दिसंबर 2022	• 19 जुलाई 2022 को, रिज़र्व बैंक ने यूसीबी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा जारी किया, जिसके तहत उनकी वित्तीय सुदृढ़ता को मजबूत करने के उद्देश्य से अलग-अलग विनियामक निर्देशों के साथ एक सरल चार-स्तरीय दृष्टिकोण (अप्रोच) अपनाया गया। तदनुसार, विनियमों को निम्नानुसार पुनर्गठित किया गया: (i) टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 यूसीबी की नई परिभाषा वाला एक परिपत्र जारी किया गया जिसे सभी विनियामक उद्देश्यों के लिए पिछले निर्देशों (6 मई 2009) के अधिक्रमण में अपनाया जाएगा।; (ii) वित्तीय रूप से मजबूत और अच्छी तरह से प्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) मानदंड को संशोधित किया गया ताकि उन्हें और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सके और उन्हें, मूल्यांकित वित्तीय स्थितियों और रिज़र्व बैंक निरीक्षण रिपोर्ट अथवा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियाँ, जो भी नवीनतम हो, के निष्कर्षों पर आधारित स्व-मूल्यांकन के आधार पर यूसीबी द्वारा अपनाया जा सकता है; (iii) यूसीबी के सभी स्तरों के लिए शर्तों के अधीन न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता और निवल मूल्य की आवश्यकता के साथ-साथ टीयर-I पूंजी में पुनर्मूल्यांकन भंडार को शामिल करने की अनुमति भी निर्धारित की गई थी। यूसीबी जो आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं उन्हें सुचारु संक्रमण की सुविधा के लिए सरल-मार्ग प्रदान किया गया है। • वित्तीय उत्पादों में काम करने वाले भारतीय बैंकों/ एआईएफआई के लिए एक ढांचा, जिसमें संरचित वित्तीय उत्पाद शामिल हैं, गिफ्ट (जीआईएफटी) सिटी सहित विदेशी अधिकार-क्षेत्र में और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में परिचालन की रही उनकी शाखाओं/ सहायक कंपनियों के माध्यम से लागू किया गया है। तदनुसार, भारतीय बैंकों की शाखाएँ/ सहायक संस्थाएँ/ विदेशी अधिकार-क्षेत्र में कार्यरत एआईएफ़आई या आईएफएससी, कुछ शर्तों के अनुपालन के अधीन रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना वित्तीय उत्पादों का कारोबार कर सकते हैं, जिसमें संरचित वित्तीय उत्पाद शामिल हैं, जो घरेलू बाज़ार में उपलब्ध नहीं हैं या जो रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत नहीं है।
5 दिसंबर 2022	न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी), एसआर के मूल्यांकन, एआरसी को दबावग्रस्त ऋण का हस्तांतरण और उधारदाताओं के क्रेडिट/निवेश एक्सपोजर से संबंधित प्रावधानों के लिए 'ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण' पर मास्टर निदेश में संशोधन किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 'आर्थिक हित' शब्द को अब स्पष्ट रूप से - 'जोखिम और प्रतिलाभ, जो ऋण एक्सपोजर अवधि के दौरान ऋण एक्सपोजर से उत्पन्न हो सकते हैं - के रूप में परिभाषित किया गया है।
13 दिसंबर 2022	• परिपत्र - "साख सूचना कंपनियों को साख सूचना प्रस्तुत करने के लिए डेटा प्ररूप और अन्य विनियामक उपाय" - ने स्पष्ट किया कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) / राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के साथ दाखिल किए गए मामले को भी क्रेडिट संस्थाओं (सीआई) द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को वाद-दाखिल (सूट-फाइल्ड) मामलों के तहत रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है। सीआई, 28 फरवरी 2023 तक परिपत्र का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। • वित्तीय विवरणों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों को सूचित किया गया कि वे, खाता टिप्पणी में उल्लिखित इस तरह के सभी मदों का विवरण प्रकट करें जहाँ कहीं भी, अनुसूची 5(IV) - अन्य देयताएं और प्रावधान - "अन्य (प्रावधानों सहित)" या अनुसूची 11(VI) - अन्य आस्तियाँ - "अन्य" के तहत कोई मद कुल आस्ति के एक प्रतिशत से अधिक है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
2 जनवरी 2023	एक प्रेस प्रकाशनी जारी कर सूचित किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को एक ही बकेटिंग संरचना के तहत घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में चिह्नित किया जाना जारी है।
9 जनवरी 2023	पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए बैंकों के दावों की जोखिम भारिता के लिए घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की एक संशोधित सूची जारी की गई।
16 जनवरी 2023	26 नवंबर 2021 को एक प्रेस प्रकाशनी प्रकाशित की गई थी जिसमें, भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए स्वामित्व और कॉरपोरेट संरचना पर मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए एक आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) द्वारा की गई 33 सिफारिशों में से, 21 सिफारिशों (कुछ आंशिक संशोधनों के साथ, जहां आवश्यक हो) को - इस अधिसूचना के साथ कि अनुदेशों/ परिपत्रों/ मास्टर निदेशों/ अनुज्ञप्ति दिशानिर्देशों में परिणामी संशोधन यथासमय किए जाएँगे - प्रकाशित किया गया था। तदनुसार, 16 जनवरी 2023 को प्रमुख शेयरधारकों के लिए एक मास्टर निदेश (एमडी) और दिशानिर्देश (बैंकिंग कंपनियों में शेयरों का अधिग्रहण और धारण अथवा वोटिंग अधिकार) जारी किया गया था, जिसमें बैंकिंग कंपनियों में शेयरधारिता और मतदान के अधिकार से संबंधित तीन मास्टर निदेशों (एमडी) को एकीकृत किया गया था। एमडी/ दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ, किए गए बड़े बदलावों में शेयरधारकों के विभिन्न श्रेणियों द्वारा अनुमेय शेयरधारिता की सीमा में अद्यतन, प्रमोटर द्वारा शेयरों की भारिता के लिए रिपोर्टिंग अपेक्षाओं की शुरूआत, और एक बैंकिंग कंपनी के प्रमुख शेयरधारक की 'उचित और युक्त' स्थिति की निरंतर निगरानी के लिए व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है।
14 फरवरी 2023	2 सितंबर 2022 को जारी 'डिजिटल ऋण पर दिशानिर्देश' के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट करते हुए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का एक सेट जारी किया गया था।
17 फरवरी 2023	बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरबीबीबी) के शासन, मापन और प्रबंधन पर दिशानिर्देश वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) को जारी किए गए थे, जिसमें उनसे आईआरआरबीबी जोखिम के मापन, निगरानी और प्रकटीकरण अपेक्षित था ताकि अत्यधिक आईआरआरबीबी उनके वर्तमान पूंजी आधार और/या भविष्य की आय के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा न कर सके। दिशानिर्देश बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) द्वारा जारी संशोधित ढांचे के अनुरूप थे।
20 फरवरी 2023	• भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरणियां - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021, ('मास्टर निदेश') 30 अगस्त 2021 को जारी किए गए, जो शुरू में सभी वाणिज्यिक बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर लागू किया गया था, राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों (एक साथ 'ग्रामीण सहकारी बैंक' या 'आरसीबी' के रूप में संदर्भित) पर लागू किया गया। मास्टर निदेश, दिनांक 30 अगस्त 2021, बैंकों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करता है, यथा - वित्तीय विवरणियों की तैयारी पर निदेश, लेखांकन मानकों के अनुपालन पर विनियामक स्पष्टीकरण, कुछ लेखांकन प्रथाओं पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश, और लेखा संबंधी टिप्पणियों में प्रकटीकरण। मास्टर निदेश अब ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) तक विस्तारित कर दिया गया है और इसलिए, बैंकिंग क्षेत्र में अपनायी जाने वाली लेखांकन और प्रकटीकरण प्रथाओं में तुलनीयता सुनिश्चित करता है। मास्टर निदेशों में उल्लिखित कुछ प्रकटीकरण अपेक्षाओं को 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि इनमें आरसीबी की मौजूदा प्रणालियों में परिवर्तन आवश्यक हैं। • अप्राप्त प्रबंधन शुल्क पर विवेकपूर्ण चिंताओं को दूर करने के लिए, एआरसी को इंड-एएस (भारतीय लेखा मानक) के अनुसार अपनी वित्तीय विवरणियां तैयार करने के निर्देश जारी किए गए थे, जिन्हें पूंजी पर्याप्तता अनुपात और लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध राशि की गणना करते समय अपने निवल स्वामित्व वाले फंड से निर्धारित राशि को कम करना आवश्यक है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
27 मार्च 2023	अबू धाबी कमर्शियल बैंक पीजेएससी, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में उल्लिखित अर्थ में, एक बैंकिंग कंपनी नहीं रह गया है और इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है।
28 मार्च 2023	सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को जारी किए गए 'शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा - निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता' से संबंधित अनुदेशों को 31 मार्च 2023 से प्रभावी किया गया।
फिनटेक विभाग	
2 सितंबर 2022	भारत में ग्रामीण वित्त का डिजिटलीकरण - रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र द्वारा विकसित *किसान* क्रेडिट कार्ड और (केसीसी) ऋण के लिए पायलट।
7 अक्टूबर 2022	केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) पर अवधारणा नोट जारी करना।
12 अक्टूबर 2022	अंतर-परिचालनीय विनियामकीय परीक्षण स्थल (रेगुलेटरी सैंडबॉक्स) के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की गई।
31 अक्टूबर 2022	सीबीडीसी-थोक (e₹-आर) पायलट का परिचालन।
29 नवंबर 2022	सीबीडीसी-खुदरा (e₹-आर) पायलट का परिचालन।
पर्यवेक्षण विभाग	
11 अप्रैल 2022	आनुपातिकता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, एनबीएफसी-अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल) और एनबीएफसी-मिडिल लेयर (एनबीएफसी-एमएल) में अनुपालन कार्य के लिए कतिपय सिद्धांत, मानक और प्रक्रियाएं शुरू की गईं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* एक स्वतंत्र अनुपालन कार्य, बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक अनुपालन नीति और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) शामिल थे। एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल को परिपत्र के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए क्रमश: 1 अप्रैल 2023 और 1 अक्टूबर 2023 तक का समय दिया गया।
19 सितंबर 2022	आनुपातिकता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, टीयर 3 और टीयर 4 यूसीबी[8] में अनुपालन कार्य के लिए कतिपय सिद्धांत, मानक और प्रक्रियाएं शुरू की गईं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ,* एक स्वतंत्र अनुपालन कार्य, बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक अनुपालन नीति और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) शामिल थे। टीयर 4 और टीयर 3 यूसीबी को परिपत्र के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए क्रमशः 1 अप्रैल 2023 और 1 अक्टूबर 2023 तक का समय दिया गया।
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग	
23 मई 2022	भारतीय रिज़र्व बैंक से विनियमित संस्थाओं (आरई) में ग्राहक सेवा मानकों की जांच और समीक्षा के लिए आरई में ग्राहक सेवा मानकों समीक्षा करने और ग्राहक सेवा विनियमों की पर्याप्तता और ग्राहक सुरक्षा में सुधार के उपाय सुझाने के लिए एक समिति (अध्यक्ष: श्री बी पी कानूनगो) का गठन किया गया था।
5 अगस्त 2022	आरबीआईओएस, 2021 के तहत कवर किए गए विनियमित संस्थाओं (आरई) के ग्राहकों की क्रेडिट सूचना से संबंधित शिकायतों के त्वरित और लागत-मुक्त वैकल्पिक शिकायत निवारण हेतु अवसर प्रदान करने के लिए, सीआईसी को 1 सितंबर 2022 से आरबी-आईओएस, 2021 के दायरे में लाया गया है।

[8] शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामक ढांचे पर रिज़र्व बैंक की 19 जुलाई 2022 की प्रेस विज्ञप्ति देखें, जिसके अनुसार यूसीबी को विनियामक उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित चार स्तरों (टीयर) में वर्गीकृत किया गया है: **टीयर 1** - सभी यूनिट यूसीबी और वेतन अर्जक यूसीबी (जमा आकार के बावजूद), और अन्य सभी यूसीबी जिनके पास ₹100 करोड़ तक की जमाराशि है; **टीयर 2** - ₹100 करोड़ से अधिक और ₹1,000 करोड़ तक जमाराशि वाले यूसीबी; **टीयर 3** - ₹1,000 करोड़ से अधिक और ₹10,000 करोड़ तक जमाराशि वाले यूसीबी; और **टीयर 4** - ₹10,000 करोड़ से अधिक जमाराशि वाले यूसीबी।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
6 अक्तूबर 2022	सीआईसी में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने और इसे अधिक कुशल बनाने की दृष्टि से, सभी साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को 1 अप्रैल 2023 तक भारतीय रिज़र्व बैंक (साख सूचना कंपनियां - आंतरिक लोकपाल) निदेश, 2022 का अनुपालन करना होगा। सीआईसी के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के शीर्ष पर आंतरिक लोकपाल एक स्वतंत्र प्राधिकरण है और यह सीआईसी द्वारा पूर्णरत: या आंशिक रूप से खारिज की गई उपभोक्ता शिकायतों की समीक्षा करता है।
2 नवंबर 2022	रिज़र्व बैंक ने आरई के सहयोग से एक राष्ट्रव्यापी उपभोक्ता वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें आबादी के सभी वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया गया। इस अभियान को बेहतर रूप से जनजुड़ाव के लिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं के अनुकूल बनाया गया था। आरबी-आईओएस, 2021 के तहत ग्राहक अधिकारों, ग्राहक सुरक्षा और शिकायत निवारण ढांचे पर जानकारी पर जोर देते हुए, अभियान में क्या करें और क्या न करें, सुरक्षा उपायों और रोकथाम को शामिल करते हुए डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेनदेन धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा पर जागरूकता को बढ़ाने का भी प्रयास किया गया।
23 जनवरी 2023	बैंकों के साथ तत्कालीन लॉकर समझौते को नवीनीकृत करने में ग्राहकों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, बैंकों के सुरक्षित जमा लॉकरों के लिए मौजूदा समझौतों के नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने की समय सीमा को एक वर्ष बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 तक कर दिया गया, जिसमें मध्यवर्ती मानक के रूप में 50 प्रतिशत को 30 जून 2023 तक और 75 प्रतिशत को 30 सितंबर 2023 तक पूरा किया जाना है। बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने ग्राहकों के साथ स्टाम्प पेपर, फ्रैंकिंग, समझौते के इलेक्ट्रॉनिक निष्पादन, ई-स्टाम्पिंग आदि की व्यवस्था करके नए/पूरक स्टाम्पयुक्त करारों के निष्पादन की सुविधा प्रदान करें और निष्पादित करार की एक प्रति ग्राहक को प्रदान करें। करार निष्पादन न होने के कारण 1 जनवरी 2023 से जिन लॉकरों का परिचालन अवरुद्ध कर दिया गया था, उन्हे तत्काल प्रभाव से खोलने के लिए सूचित किया गया।
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग	
31 मार्च 2022	2022-23 की पहली छमाही (अप्रैल 2022 से सितंबर 2022) के लिए भारत सरकार की अर्थोपाय अग्रिम (डबल्यूएमए) की सीमा ₹1,50,000 करोड़ तय की गई।
1 अप्रैल 2022	राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) की डब्ल्यूएमए की सीमा और ओवरड्राफ्ट (ओडी) की समय सीमा 'राज्य सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिम' पर सलाहकार समिति (अध्यक्ष: श्री सुधीर श्रीवास्तव) की सिफारिश के अनुसार तय की गई, जो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी है। तदनुसार, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए डबल्यूएमए की सीमा ₹47,010 करोड़ निर्धारित की गई थी। राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश लगातार 14 दिनों तक ओवरड्राफ्ट का लाभ उठा सकते हैं और एक तिमाही में अधिकतम 36 दिनों तक ओडी में रह सकते हैं।
29 सितंबर 2022	2022-23 की दूसरी छमाही (अक्टूबर 2022 से मार्च 2023) के लिए भारत सरकार की डबल्यूएमए की सीमा ₹50,000 करोड़ तय की गई।
6 जनवरी 2023	भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारत सरकार के परामर्श से, 2022-23 के दौरान ₹16,000 करोड़ की कुल राशि के लिए पहली बार सॉवरेन हरित बॉण्ड जारी करने के लिए सांकेतिक कैलेंडर जारी किया।
मुद्रा प्रबंध विभाग	
1 जुलाई 2022	महात्मा गांधी (नई) शृंखला, 2016 के आरंभ की पृष्ठभूमि में, नोट छंटाई मशीनों पर लागू प्रमाणीकरण और उपयुक्तता सॉर्टिंग मापदंडों की समीक्षा की गई और सभी बैंकों को संशोधित दिशानिर्देशों की सूची जारी की गई।
21 सितंबर 2022	दृष्टिबाधित व्यक्तियों को हिंदी और अंग्रेजी में ऑडियो सूचना द्वारा भारतीय बैंकनोटों के मूल्यवर्ग की पहचान में सहायता करने के लिए 2020 में लॉन्च किया गया मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफ़ायर (मनी) ऐप अब 11 अन्य भाषाओं (यथा असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू) में बैंकनोट के मूल्यवर्ग की सूचना देने सक्षम है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	
8 अप्रैल 2022	रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर लचीलापन और भुगतान सुरक्षा नियंत्रण शुरू करने की घोषणा की, जिसमें साइबर सुरक्षा जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और प्रबंधन के लिए मजबूत अधिशासन तंत्र शामिल है।
19 मई 2022	यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करके ग्राहक प्रमाणीकरण के साथ एटीएम पर इंटरऑपरेबल कार्ड-लेस कैश विदड्रॉल (आईसीसीडब्ल्यू) की अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
26 मई 2022	भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) पर दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया और गैर-बैंक भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों (बीबीपीओयू) के लिए न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता को घटाकर ₹25 करोड़ कर दिया गया।
8 जून 2022	रिज़र्व बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड को लिंक करने की सुविधा प्रदान करके यूपीआई में संवर्धन की घोषणा की।
9 जून 2022	रिज़र्व बैंक ने सब्सिडी राशि बढ़ाने, सब्सिडी दावा प्रक्रिया को सरल बनाने आदि के लिए भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ) की समीक्षा की।
16 जून 2022	आवर्ती लेनदेन के लिए ई-मेनडेट ढांचे को संशोधित किया गया था, जिसमें प्रमाणीकरण (एएफए) के अतिरिक्त कारक (एएफए) के बिना, बाद के लेनदेन के लिए सीमा को ₹5,000 से बढ़ाकर ₹15,000 कर दिया गया।
17 जून 2022	दिसंबर 2025 तक की अवधि में भारत में भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए रोडमैप को रेखांकित करते हुए भुगतान विजन 2025 का विमोचन किया गया था।
1 जुलाई 2022	भारत की भुगतान प्रणालियों को बेंचमार्क करने के लिए अनुवर्ती अभ्यास पर रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी जिसमें बीस अन्य देशों की तुलना में भुगतान परिदृश्य में भारत की स्थिति के साथ-साथ विभिन्न संकेतकों के तहत पिछले अभ्यास के बाद से हुई प्रगति को शामिल किया गया था।
4 जुलाई 2022	गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के नियंत्रण के अधिग्रहण/ अभिग्रहण और गैर-बैंक पीएसओ की भुगतान प्रणाली गतिविधि की बिक्री/ हस्तांतरण के मामले में पूर्व अनुमोदन को अनिवार्य करते हुए दिशानिर्देश जारी किए गए।
28 जुलाई 2022	• रिज़र्व बैंक में आवेदन के प्राधिकार हेतु ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स (17 मार्च 2020 तक मौजूद) के लिए एक और विंडो प्रदान की गई थी। • ऐसे लेनदेन के लिए जहां कार्डधारक मैन्युअल रूप से कार्ड विवरण दर्ज करेगा, व्यापारियों या उनके पीए को निपटान या टी + 4 दिनों (जो भी पहले हो) तक कार्ड डेटा स्टोर करने की अनुमति दी गई थी और अधिग्रहण करने वाले बैंकों को 31 जनवरी 2023 तक कार्ड डेटा स्टोर करने की अनुमति दी गई थी।
5 अगस्त 2022	रिज़र्व बैंक ने सीमा पार इनबाउंड बिल भुगतान को संसाधित करने की सुविधा के लिए बीबीपीएस को सक्षम करने की घोषणा की।
17 अगस्त 2022	जनता से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए "भुगतान प्रणालियों में शुल्क" पर एक परिचर्चा पत्र प्रकाशित किया गया था।
30 सितंबर 2022	रिज़र्व बैंक ने ऑफ़लाइन पीए को कवर करने के लिए ऑनलाइन पीए पर लागू मौजूदा नियमों का विस्तार करने की घोषणा की।
30 नवंबर 2022	भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय सेवा एजेंसी, जापान के साथ केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) के क्षेत्र में सहयोग पत्र का आदान-प्रदान किया।
7 दिसंबर 2022	• रिज़र्व बैंक ने सिंगल-ब्लॉक-और-मल्टीपल-डेबिट के साथ प्रोसेसिंग मेनडेट की सुविधा के लिए यूपीआई में संवर्धन की घोषणा की। • रिज़र्व बैंक ने सभी भुगतानों और संचय को शामिल करने के लिए बीबीपीएस के दायरे का विस्तार करने की घोषणा की।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
26 दिसंबर 2022	1 जनवरी 2023 से भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग के दक्ष [9] प्लेटफॉर्म पर माइग्रेशन को अनिवार्य करने के लिए निदेश जारी किए गए।
8 फरवरी 2023	रिज़र्व बैंक ने व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) से संबंधित गतिविधियों के दायरे में संवृद्धि की घोषणा की, जैसे, बीमा सुविधा, द्वितीयक बाजार परिचालन आदि।
10 फरवरी 2023	रिज़र्व बैंक ने एनआरआई और विदेशी नागरिकों (जी20 देशों से) को भारत में अपने व्यापारी भुगतान [पीयर-टू-मर्चेंट (पी 2 एम)] के लिए यूपीआई तक पहुंच की अनुमति दी।
16 फरवरी 2023	रिज़र्व बैंक ने विदेशी अंशदान दाता विवरण को पाने के लिए आरटीजीएस/ एनईएफटी संदेशों को उन्नत किया और सदस्य बैंकों को एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणालियों के माध्यम से बाहरी अधिकार क्षेत्रों से प्राप्त दान को भारतीय स्टेट बैंक में नामित एफसीआरए खाते में भेजते समय आवश्यक दाता विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया।
21 फरवरी 2023	भारत और सिंगापुर की फास्ट पेमेंट सिस्टम के बीच यूपीआई-पेनाव लिंकेज को चालू किया गया था।
6 मार्च 2023	रिज़र्व बैंक ने 6-12 मार्च 2023 के दौरान मनाए गए डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (डीपीएडब्ल्यू) 2023 के अवसर पर मिशन 'हर पेमेंट डिजिटल' शुरू किया, जिसका विषय "डिजिटल भुगतान अपनाओ, औरों को भी सिखाओ" (डिजिटल भुगतान को अपनाना और दूसरों को भी सिखाना है)।

[9] रिज़र्व बैंक की उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली।